CNR– UPAG0100150662023

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा।
सेशन केस नं0 266/2023

राज्य बनाम बच्चू सिंह।

अपराध सं0 32/2022
धारा–323, 504, 506 भा0द0सं0 व 3(2)(va), 3(1)द व 3(1)ध एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना–कागारौल, जिला आगरा

दिनांक 19.08.2025

1– पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त बच्चू सिंह न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 उपस्थित।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 15ख अन्तर्गत धारा 348 बी.एन.एस.एस.

2– प्रार्थी/अभियुक्त बच्चू सिंह की ओर से प्रार्थनापत्र 15ख अन्तर्गत धारा 348 बी.एन.एस.एस. दिनांकित 15.07.2025 मय शपथपत्र 16ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में प्रार्थी, अभियुक्त है। दिनांक 27.03.2025 को गवाह पी0डब्ल्यू0–1 द्वारिका प्रसाद से जिरह हेतु तारीख नियत थी, प्रार्थी के अधिवक्ता की अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण पी0डब्ल्यू0–1 से जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित नही हो सके थे तथा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए पी0डब्ल्यू0–1 से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया था। गवाह पी0डब्ल्यू0–1 मुख्य गवाह है, उससे जिरह का अवसर नही मिला तो अभियुक्त अपना पक्ष रखने में व बचाव करने से वंचित रह जायेगा और अभियुक्त को अपूर्णनीय क्षति होगी। न्यायहित में सही निर्णय के लिए गवाह पी0डब्ल्यू0–1 को पुनः तलब करने के आदेश पारित करने की याचना की गयी।

3– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा मौखिक रूप से प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया।

4– उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 द्वारिका प्रसाद की मुख्य परीक्षा दिनांक 02.01.2025 को अंकित की गयी, किन्तु अभियुक्त की ओर से जिरह हेतु स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा 250/–रूपये हर्जे पर स्वीकृत करते हुए जिरह हेतु दिनांक 30.01.2025 नियत की गयी। दिनांक 27.03.2025 को गवाह द्वारिका प्रसाद उपस्थित थे, किन्तु अभियुक्त की ओर से पुनः स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए जिरह का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता की तबियत खराब हो जाने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नही हो सके और उक्त साक्षी से जिरह नही की जा

सकी। यद्यपि प्रार्थनापत्र विलम्ब से दिया गया है, किन्तु न्यायालय का मत है कि साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा हैं, मुख्य साक्षी हैं जिनसे जिरह करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना मामले के गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किये जाने के लिए आवश्यक है। यदि अभियुक्त को उक्त साक्षी से जिरह का अवसर नही दिया गया तो उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी। अतएव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के विचार में न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 348 बी.एन.एस.एस. हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त बच्चू सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 15ख अन्तर्गत धारा 348 बी.एन.एस.एस. मु0 पॉच सौ रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए अभियुक्त को साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 से जिरह का एक अवसर प्रदान किया जाता है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 नियत दिनांक के लिए जरिये समन तलब हों।

पत्रावली वास्ते जिरह साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 दिनांक 05.10.2025 को पेश हो।

दिनांक 19.08.2025

ह0

(पुष्कर उपाध्याय)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा।
आई0डी0 नं0–यूपी–6086

Digitally signed by PUSHKAR UPADHYAY
Date: 2025.08.19 17:16:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court